भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 268

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

अनुसूचित जाति का कल्याण

268. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनसूचित जाति (एससी) की अधिक जनसंख्या वाले जिलों और राज्यों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सरकार की विशेष योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पंजाब देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है जहां संगरूर और बरनाला जैसे जिलों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या काफी अधिक है और यदि हां, तो सरकार द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर और क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकाताओं के अनुरूप विशेष आर्थिक पैकेज अथवा परियोजनाएं शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा विशेष रूप से क्या इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी के शैक्षिक उत्थान में सहायता के लिए संगरूर में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश भर में अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। वितरण **अनुबंध** में दिया गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जाति (एससी) की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक पंजाब में है, जिसकी कुल जनसंख्या का लगभग 32% एससी वर्ग से संबंधित है। उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्तमान में संगरूर में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

अनुबंध

लोक सभा में श्री गुरमीत सिंह मीत द्वारा पूछे गए दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 268 के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

देश भर में अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण।

i) **अनुसूचित जाति के छात्रों एवं अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अन्य लाभ से वंचित श्रेणियों के बच्चों के माता-पिता को मैट्रिक-पूर्व स्तर पर पढ़ रहे उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करना है।

ii) **अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना है, जिसमें सबसे गरीब परिवारों के छात्रों पर फोकस किया जाता है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी के बाद के स्तर पर भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।

iii) **यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस):** यह विभाग की चार छोटी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में संसाधनों के अभिसरण को सुनिश्चित करने की एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा (भारत और विदेश में) प्राप्त करने और/या केंद्र या राज्य सरकारों की समूह-क/समूह-ख सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करना है। विभाग की चार छोटी केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ इस प्रकार हैं-

क. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग (एफसीएस)
ख. अनुसूचित जातियों के लिए शीर्ष श्रेणी की छात्रवृत्ति (टीसीएस)
ग. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना (एनओएस)
घ. अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी)

iv) **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय):** इस योजना के तीन घटक हैं: आदर्श ग्राम घटक, अनुदान सहायता घटक और छात्रावास घटक। पीएम-अजय को वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोज़गार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना और अनुसूचित जाति की अधिकता वाले गांवों में

पर्याप्त आधाभूत ढांचे और अपेक्षित सेवाएं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार लाना है।

v) **लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा स्कीम (श्रेष्ठ):-** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग सरकार के विकास के प्रयास को बढ़ाने और सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति की अधिकता वाले क्षेत्रों में गैप खत्म करने के लिए, अनुदान प्राप्त संस्थानों (एनजीओ द्वारा संचालित) और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाले आवासीय उच्च विद्यालयों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में और अनुसूचित जातियों (एससी) के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए वातावरण प्रदान करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

vi) **अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी):-** वीसीएफ-एससी की स्थापना अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उनके उद्यमियों को रियायती दर पर वित्तपोषण प्रदान करने के लिए की गई है। वर्ष 2020 में, वीसीएफ-एससी के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) की शुरुआत की गई थी, ताकि नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सहायता की जा सके।

vii) **प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही योजना:-** यह योजना अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी ताकि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप लक्षित समूह के लिए नौकरी या स्वरोजगार उद्यम मिल सके।

viii) **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में एनएसएफडीसी अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है, को रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि आय सृजन गतिविधियों, स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

*****